भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3662
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा का उद्देश्य

3662. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत बजट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना अथवा विकास करना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मनरेगा के तहत 60 और 40 प्रतिशत कच्चे और पक्के कार्यों का अनुपात स्वीकृत है और पंजीकृत कार्यों का भुगतान उक्त अनुमोदन के आधार पर किया जाता है , जबकि किए गए कार्यों के लिए भुगतान में अनियमितताएं देखी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से जांच कराने का विचार है; और

(च) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को एक परामर्श जारी करेगी क्योंकि नियंत्रणाधीन प्रशासन 'दिशा' समिति में लिए गए निर्णय का पालन करने में कोई गहरी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, बजट अनुमान (बीई) चरण में 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है , जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत बजट अनुमान (बीई) चरण में इसके आरंभ के बाद से अब तक का सबसे अधिक आवंटन है।

(ख) महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में गारंटीशुदा रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान करना है , जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊपन वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन हो। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान (13.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा और पूरे किए गए कार्यों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान (13.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा के तहत सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा और पूरे किए गए कार्यों की संख्या।					
वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सृजित श्रम दिवस (करोड़ में)	389.09	363.19	293.7	308.73	198.02
पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (लाख में)	84.35	89.96	94.45	84.24	62.2

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ग) और (घ): महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी और सामग्री व्यय पर 60:40 अनुपात बनाए रखने का प्रावधान है और राज्यों को इस अनुपात को सख्ती से बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जागरूक किया जाता है। जब कभी 60:40 के अनुपात के उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत मंत्रालय के ध्यान में आती है , तो उसे आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दिनांक 13.12.2024 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के विषय में सामग्री व्यय का प्रतिशत 36.30% है।

(ङ) जब कभी मंत्रालय में केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल अथवा माननीय संसद सदस्यों के पत्रों सहित किसी स्रोत के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार से कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी जाती है। इसके अतिरिक्त उठाए गए मुद्दे की गंभीरता के आधार पर केन्द्रीय दल की भी तैनाती की जाती है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के विषय में माननीय संसद सदस्य से एक वीआईपी संदर्भ प्राप्त हुआ है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की जांच करने और कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(च): जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों (दिशा) के दिशानिर्देशों के अनुसार , दिशा समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई बैठक के 30 दिनों के भीतर शुरू की जानी चाहिए। की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा दिशा समिति द्वारा की जाएगी। पिछली बैठक की सिफारिश से संबंधित की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) अगली बैठक की प्रथम कार्यसूची मद होनी चाहिए। दिशा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार , जिला स्तरीय दिशा समितियों में लिए गए निर्णयों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय दिशा समितियों को अधिदेशित किया गया है। राज्य स्तरीय दिशा समिति , यदि आवश्यकता महसूस की जाए , तो दिशा के अंतर्गत निगरानी किए गए कार्यक्रमों से संबंधित किसी भी मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज सकती है जो उचित कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करता है और तदनुसार संबंधित दिशा समिति को सूचित करता है।

****